Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पंचायती राज विभाग, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के रामावतार मीणा अधिशाषी अभियंता हाल एसोसियट प्रोफेसर, के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के मामले में आपरेशन "भूदेव" चलाया जाकर आज जयपुर, करौली, गंगापुर सिटी व उदयपुर में करीब एक दर्जन ठिकानो पर सर्च।**
- **सर्च कार्यवाही में करोड़ो रूपये के आलीशान मकान फार्म हाउस होने की पुष्टि।**

जयपुर, 15 अक्टूम्बर, बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा जयपुर, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर व उदयपुर में आज अल सुबह कार्यवाही करते हुये **रामवतार मीणा अधिशाषी अभियंता एसोसियट प्रोफेसर, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर** के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक अर्जित करने के प्रकरण में आरोपी के करीब एक दर्जन विभिन्न ठिकानों पर छापामार कर तलाशी अभियान **"भूदेव"** चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी कि रामावतार मीणा अधिशाषी अभियंता, हाल एसोसियट प्रोफेसर, इन्दिरागांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर द्वारा पद पर रहते हुये रिश्वत प्राप्त की जाकर भ्रष्ट तरीके से भ्रष्टाचार के द्वारा स्वयं एवं अपने परिवारजनों के नाम से अपनी वैद्य आय से अनुपातिक रूप से अधिक चल–अचल सम्पतियां अर्जित की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करोड़ो रूपयो में है।

उक्त गोपनीय शिकायत का एसीबी की इन्टेलिजेंस शाखा द्वारा गोपनीय रूप से सत्यापन किया गया तथा अधिकारी द्वारा जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली, उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर आवासीय भूखण्ड, प्लाट्स, फार्म हाउस, कन्स्ट्रकशन कम्पनी, अर्जित करने के तथ्य प्रकट हुये जिस पर विस्तृत रूप से तथ्य संकलित किये गये एवं तथ्यों की जाँच होने पर करीब **2.77 करोड़ (करीब 115 प्रतिशत)** की परिसम्पत्तियां वैद्य आय से अधिक अर्जित का मामला बनना पाया जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया।

एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक श्री आनन्द शर्मा** के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधा जयपुर नगर प्रथम के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भूपेन्द्र** अनुसंधान अधिकारी के नेतृत्व में सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किया जाकर ब्यूरो की एक दर्जन से अधिक टीमों ने एक साथ, अल सुबह आरोपी के जयपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर आवासीय भूखण्ड, प्लाट्स, फार्म हाउस, केसर, कन्स्ट्रकशन कम्पनी करीब एक दर्जन विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्यवाही की गयी।

अब तक कि गयी सर्च कार्यवाही प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित जयपुर शहर में इन्दिरा गांधी नगर में प्राईम लोकेशन पर 06 बडे प्लाट/मकान, जयपुर शहर में जगतपुरा क्षेत्र में रोहिणी नगर टीलावाला में करोड़ो रूपये की बेनामी सम्पति. जयपुर के अचलपुरा कोटखावदा में मुख्य मार्ग पर बेशकीमती व्यवसायिक उपयोग हेतु लाखो रूपये की कृषि भूमि में निवेश, खिरखिड़ा गांव करौली में करीब 5 बीघा का खेतध्फार्म हाउस जिसमे लाखों रुपये का निर्माण कार्य हो रखा है. गंगापुर सिटी में दो मंजिला मकान,एवं गंगापुर सिटी के जमीन चल–अचल सम्पति होने की पुष्टि हुयी। आरोपी द्वारा इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर में करीब 7500 वर्गफीट में एक आलीशान कोठी का निर्माण करवाया जा रहा है जिसमें अब तक करीब एक करोड़ रूपये का व्यय करना प्रकट हुआ है। उक्त जयपुर स्थित आलीशान मकान व खिरखिड़ा करौली स्थित फार्म हाउस, गंगापुर सिटी स्थित आलीशान दो मंजिला मकान आदि में करोडो रूपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त मकानी, फार्म हाउस की कीमत का आकलन तकनीकी विशेषज्ञ अप्रूव्ड वैल्यू के अनुसार करवाया जा रहा है। तलाशी के दौरान करीब तीन लाख रूपये एवं लाखो रूपये का महंगी लगजरी वाहन,जीप कम्पास होने की पृष्टि हुयी। सर्च कार्यवाही में आरोपी द्वारा अपनी पत्नी के नाम से कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एवं माईनिग लीज होने की पृष्टि हुयी जिसमें आरोपी द्वारा करोड़ो रूपये का निवेश करना प्रकट हुमा।

ब्यूरो के प्राथमिक आंकलन, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अब तक तलाशी में मिले दस्तावेजो के अनुसार आरोपी रामावतार मीणा द्वारा अपने सेवाकाल में भ्रष्ट साधनों द्वारा करोड़ो रूपये की कीमत के अनेक चल–अचल सम्पतियां अर्जित करने का अनुमान है जो उनकी वैद्य आय से अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त आरोपी एवं उसके परिजनों द्वारा कई अन्य परिसम्पतियों में निवेश के साक्ष्य मिले है जिनकी विस्तृत जांच की जायेगी।

एसीबी की विभिन्न टीमो द्वारा आरोपी के ठिकानो पर तलाशी अभियान जारी है। मामले में एसीबी द्वारा आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के प्रकरणों में अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।